



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05122025-268256  
CG-MH-E-05122025-268256

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5410]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947

No. 5410]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 4 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5598(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम -2008 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में नामित अधिकारियों को “सक्षम प्राधिकारी” के रूप में उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है, जो “गुजरात राज्य में पश्चिमी रेलवे के भावनगर डिवीजन पर सरखेज से धोलेरा तक नई बीजी दोहरी लाइन (109.16 किमी) + लोथल एनएमएचसी और धोलेरा हवाई अड्डे के लिए स्पर लाइन (20.40 किमी) की विशेष रेलवे परियोजना” के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है, जो कि उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित उप-डिवीजनों से संबंधित है और कॉलम (4) में उल्लिखित जिलों से संबंधित है, ऐसी विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	उपखंड (तालुका)	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(i) प्रांत अधिकारी पश्चिम-अहमदाबाद	वेजलपुर	अहमदाबाद
	(ii) प्रांत अधिकारी धंधुका	धोलेरा	

[फा. सं. E-661502-03]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक-II

**MINISTRY OF RAILWAYS****[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 4th December, 2025

**S.O. 5598(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorises the officers nominated in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of New BG double line from Sarkhej to Dholera (109.16KM) + Spur line for Lothal NMHC and Dholera airport (20.40KM) of Bhavnagar Division of Western Railway, in Gujarat State relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

**TABLE**

<b>S. No.</b>	<b>Competent Authority</b>	<b>Sub Division (Taluka)</b>	<b>District</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(i) Prant Officer West-Ahmedabad	Vejalpur	Ahmedabad
	(ii) Prant Officer Dhandhuka	Dholera	

[F. No. E-661502-03]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager-II